

12/5/26 अभिमापकता <sup>प्रति</sup> ~~अभ्युक्ति~~ को <sup>उप.</sup> । न्यायालय  
 समय ले प्रातः ले ही लगाना आवाजे मारि  
 जा रही हैं परन्तु प्रोजेक्टावकाश के लिए  
 11:20 AM तक भी वारी पक्ष की ओर  
 ले कोई उपायित नहीं हुआ है। प्रतिपक्ष  
 की ओर ले श्री श्रीवास सिंह लड  
 राजवीर अभिमापकता जितेंद्रु शर्मा  
 उप. हैं। वारी पक्ष की ओर हजिरी  
 को कोई कारण न्यायालय के सामने नहीं  
 है। अतः वारा वारी अडम हजिरी  
 प्रती वारी के बारे में विचार जात है  
 प्रत्यक्ष वारा तकमिल के समुदाय होने  
 काखिल दफ्तर हो।

215  
 जिला न्यायाधीश  
 सवाई माधोपुर (राज.)